फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

सरूपाराम वगैरा बनाम राणाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 06/20 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
04.06.2020	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा भीलों की बस्ती व चैनपुरा पटवार मण्डल चीबी तहसील गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थीगण वकील के कथनानुसार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि का विप्रार्थीगण बैचान करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थी को आगामी पेशी तारीख 13/07/2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा भीलों की बस्ती पटवार मण्डल चीबी तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 103, 129 रकबा क्रमशः 56.09, 56.08 बीघा व मौजा चैनपुरा पटवार मण्डल चीबी के खेत खसरा नम्बर 5, 100/1 रकबा क्रमशः 19.14, 04.13 बीघा की भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि का बैचान विप्रार्थीगण नहीं करें। वर्तमान रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 13/07/2020 को पेश हों।	

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:55 IST
Reason: SelfAttested

13/07/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण नोटिस तामिल सम्मन तामिल प्राप्त। मौजूदा पीठासीन तीन डिग्री कार्यों में व्यस्त होने के मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 17/08/2020 को पेश हो।

17/08/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व के जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। मौजूदा पीठासीन अधिकारी डिग्री कार्यों में व्यस्त होने के मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक - 21/09/21 को पेश हो।

21/09/2020 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 18/11/20 को पेश हो।

18/11/2020 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 16/02/21 को पेश हो।

16/02/21 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 08/06/21 को पेश हो।

08/06/21 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 28/09/21 को पेश हो।

28/09/21 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 21/10/21 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:55 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/10/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। सीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 के व्यस्त होने से निवाल इत्तला होकर आगामी दिनांक 09/11/2021 को पेश हो।	
09/11/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों की एडी मुन: प्राप्त नहीं हुई है। सीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 के व्यस्त होने से निवाल इत्तला होकर आगामी दिनांक 24/12/21 को पेश हो।	
24/12/2021	प्रार्थी ~~[illegible]~~ उपस्थित। प्रार्थीगण का मूल वाद जरिये विड्रावल खारिज हो चुका है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है। नित: प्रार्थी का उक्त समस्त आवेदन इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर इंडेक्स नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।	विड्रावल स्वरूप सोनी न्यायाधीश सहायक कलक्टर (SDO) चाचौड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:55 IST
Reason: SelfAttested